

FORM NO. III


(C)

2023/231

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ मुकाम
इन्डा बनाम शोचालाल
 किस्म मुकद्दमा ग-५५/२८ नं. १६५/२०२३ सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
१०.६.२३	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... <u>अपेक्षपुर</u> ग्राम..... की <u>६</u> आ.न. <u>२१२</u> <u>खण्ड ०.३५</u> <u>२१५</u> <u>खण्ड ०.१२</u> की <u>२११</u> <u>खण्ड</u> <u>५९</u> <u>१६</u> <u>०.१६</u> विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। <u>किन्नारगढी - ०.६२</u> प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>१०००/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी </p>	

